



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14072021-228298
CG-DL-E-14072021-228298

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2622]
No. 2622]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 14, 2021/आषाढ़ 23, 1943
NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 14, 2021/ASHADHA 23, 1943

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 जुलाई, 2021

का.आ. 2827(अ).— आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 10 के खंड (46) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार एतद्वारा उक्त खंड के प्रयोजनार्थ 'हिमाचल प्रदेश कम्प्यूटराइजेशन ऑफ पुलिस सोसायटी' (पैन AABAH0360G), जो कि हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकार द्वारा स्थापित एक निकाय है को उस निकाय को होने वाली निम्नलिखित निर्दिष्ट आय के संबंध में अधिसूचित करती है, अर्थात:-

क. अनुदान सहायता के रूप में प्राप्त राशि; और

ख. हिमाचल प्रदेश कम्प्यूटराइजेशन ऑफ पुलिस सोसायटी के खाते में जमा अनुदान सहायता पर अर्जित व्याज।

2. यह अधिसूचना इन शर्तों के अधीन प्रभावी होगी कि हिमाचल प्रदेश कम्प्यूटराइजेशन का पुलिस सोसायटी:-

क. किसी भी व्यावसायिक गतिविधि में लिप्त नहीं होगा;

ख. वित्तीय वर्षों के दौरान गतिविधि तथा निर्दिष्ट आय की प्रकृति अपरिवर्तित रहेंगी;

ग. आयकर अधिनियम 1961 की धारा 139 की उप-धारा (4ग) के खंड (छ) के प्रावधान के अनुसार आय की विवरणी दायर करेगा; और

घ. जैसा कि आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 288(2) के स्पष्टीकरण में प्रावधान किया गया है, चार्टर्ड अकाउंटेंट से इस प्रमाण पत्र के साथ कि उपर्युक्त शर्तें पूरी कर ली गई हैं लेखाकार द्वारा विधिवत सत्यापित विवरणी के साथ लेखा परीक्षा रिपोर्ट दायर करेगा।

3. इस अधिसूचना को वित्तीय वर्षों 2018-2019, 2019-2020 और 2020-2021 को लिए लागू किया हुआ समझा जाएगा और वित्तीय वर्षों 2021-2022 और 2022-2023 के संबंध में लागू होगी।

[अधिसूचना सं. 81/2021/फा. सं. 300196/40/2018-आईटीए-1]

प्रज्ञा पारमिता, निदेशक

स्पष्टीकरण ज्ञापन

यह प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को पूर्व व्यापी प्रभाव देने से किसी भी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ रहा है।